प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

प्रतिवेदन

उक्त मोटर मार्ग हेतु शासनादेश संख्या 2690/III(2)/19–42 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 24–07–2019 द्वारा लागत 206.41 लाख मात्र की लम्बाई 7.075 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मार्ग का वन भूमि क्षेत्रफल 9.00 मी0 चौड़ाई के अनुसार गणना कर मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य/सिविल भूमि 0.990 हे0 एवं गैर मजरुवा 4.185 है0 इस प्रकार कुल राज्य भूमि 5.175 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया गया है। जिसमें वृक्षों की गणना 9.00 मी0 चौड़ाई में की गई है। जिसमें 35 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है। इस मार्ग से निम्नलिखित गांव लाभान्वित होंगे :–

	ग्राम का नाम	जनसंख्या
1	रॉथी	**4873**

इस प्रस्ताव में मार्ग के संलग्न बारचार्ट व लैण्ड शैड्यूल के अनुसार निम्न प्रकार की भूमि हस्तान्तरित होनी है :–

1	आरक्षित वन भूमि	प्रभावित नहीं
2	मोटर मार्ग में प्रभावित राज्य भूमि	0.990 है0
3	वन पंचायत भूमि	प्रभावित नहीं
4	गैर मजरूवा	4.185 है0
	कुल वनभूमि	**5.175 है0**
1	नाप भूमि	1.192 है0
	कुल भूमि	**6.567 है0**

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव गठित कर राज्य सरकार/भारत सरकार की स्वीकृति हेतु 5.175 है0 वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत है।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ)